Dublicate Copy
08-Jul-2023

आदेश

तिथि Sep 24 2022

आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा हीरापुर थाना झरिया

खाता	प्लॉंट	रकबा
80	2642	0 एकड़,3 डिसमील, 0हेक्टर
80	2643	0 एकड़,13 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
NITESH SRIVASTAVA	पिता	HARISH KUMAR SRIVASTAVA
ABHISHEK KUMAR	पिता	HARISH KUMAR SRIVASTAVA

है जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या ४८९७ दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खितयानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
Nitesh Srivastava	पिता	Harish Kumar Srivastava
Abhishek Kumar	पिता	Harish Kumar Srivastava

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल ख़ारिज स्वीकृत किया जाता है

अत: वार्षिक लगान **16रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|

Digitally Signed by : PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद	